



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445]
No. 445]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 1, 2007/आश्विन 9, 1929
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2007/ASVINA 9, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2007

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT
AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2007

सा.का.नि. 639(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) और धारा 10 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, केन्द्रीय सरकार, प्रधान अधिकारी (प्रभारी), समुद्री वाणिज्यिक विभाग, मुम्बई के स्थान पर, प्रधान अधिकारी (प्रभारी), समुद्री वाणिज्यिक विभाग, कांडला को 31-3-2008 तक एतद्वारा, कांडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में एक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग, पत्तन स्कंध की दिनांक 23 मई, 2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 306(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उपर्युक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 05 में उल्लिखित शब्दों, "प्रधान अधिकारी (प्रभारी), समुद्री वाणिज्यिक विभाग, मुम्बई" को "प्रधान अधिकारी (प्रभारी), समुद्री वाणिज्यिक विभाग, कांडला" शब्दों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. पी टी-18011/8/2005-पी टी]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

G.S.R. 639(E).—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 and Sub-section (2) of Section 10 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Principal Officer (I/C), Mercantile Marine Department, Kandla on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust Vice Principal Officer (I/C), Mercantile Marine Department, Mumbai as a Trustee upto 31-3-2008 and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping (Ports Wing) No. G. S.R. 306 (E) dated 23rd May, 2006.

2. In the said Notification, against serial number 5 for the words "Principal Officer (I/C), Mercantile Marine Department, Mumbai" the words "Principal Officer (I/C), Mercantile Marine Department, Kandla" shall be substituted.

[F. No. PT-18011/8/2005-PT]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2007

सा.का.नि. 640(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) और धारा 10 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, केन्द्रीय सरकार, सचिव, पत्तन और परिवहन विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर के स्थान पर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं उपाध्यक्ष, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, गांधीनगर को 31-3-2008 तक एतद्वारा, कांडला पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में एक न्यासी के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग, पत्तन स्कंध की दिनांक 23 मई, 2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 306(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उपर्युक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 6 में उल्लिखित शब्दों, "सचिव, पत्तन और परिवहन विभाग, ब्लॉक नं. 2, दूसरा तल, सचिवालय, गांधीनगर" को "मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं उपाध्यक्ष, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, एयरफोर्स स्टेशन के सामने, सेक्टर-10ए, गांधी नगर" शब्दों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. पी टी-18011/8/2005-पी टी]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2007

G.S.R. 640(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 and Sub-section (2) of Section 10 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Chief Executive Officer and Vice Chairman, Gujarat Maritime Board, Gandhinagar on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust Vice Secretary, Ports and Transport Department, Government of Gujarat, Gandhinagar as a Trustee upto 31-3-2008 and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping (Ports Wing) No. G. S.R. 306(E) dated 23rd May, 2006.

2. In the said Notification, against serial number 6 for the words "Secretary Ports and Transport Department, Block No. 2, 2nd Floor, Sachivalaya, Gandhinagar" the words "Chief Executive Officer and Vice Chairman, Gujarat Maritime Board, Opp. Airforce Station, Sector-10A, Gandhinagar" shall be substituted.

[F. No. PT-18011/8/2005-PT]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.